1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1045/2012

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 1045 / 12</u> संस्थापित दिनांक 26 / 12 / 2012

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > <u>.....</u> अभियोजन

बनाम

 राधेश्याम शर्मा पुत्र बालाप्रसाद शर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी- ग्राम करबास थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

...... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—294, 335, 353 तथा 506बी भा0द0स0) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री अशोक पचौरी।)

<u>::- नि र्ण य -::</u>

(आज दिनांक 12.03.2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 19.04.2012 को दोपहर साढे तीन बजे जनपद कार्यालय गोहद में फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने, फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को उसके शासकीय कर्तव्य का निर्वहन करने से निवारित करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कारित कर एवं उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भादस की धारा 294, 506बी, 353 एवं 332 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी आशुतोष वर्ष 2012 में पंचायत गोहद में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। घटना दिनांक 19.04.2012 के पहले फरियादी आरोपी राधेश्याम शर्मा द्वारा की गई शिकायत की जांच करने कार्यपालन यंत्री भिण्ड के साथ ग्राम छरेंटा गया था, उसी रंजिश के कारण घटना दिनांक को दोपहर साढे तीन बजे वह जनपद पंचायत सी0ओ0 कार्यालय में विकास कार्यों की मीटिंग में बैठा हुआ था तभी आरोपी राधेश्याम अपने तीन आरोपियो के साथ कार्यालय में घुस आया था एवं फरियादी का नाम लेकर उसे मां—बहन की गालियां दी थी तथा उससे कहा था कि

शिकायत की जांच सही क्यों नहीं की थी। आरोपी राधेश्याम एवं उसके तीन साथियों ने फरियादी आशुतोष को पकड़ लिया था तथा राधेश्याम ने लात घूंसों एवं जूतों से उसकी मारपीट की थी, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा था तथा शरीर में अन्य जगह चोटें आई थी, आरोपी ने उसके कार्य में बाधा उत्पन्न की थी, तभी कार्यालय में उपस्थित आर0के0 गोस्वामी, आर0एस0 जाटव, दिनेश सक्सेना, भारत सिंह आ गये थे, जिन्होंने उसे बचाया था। आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क0 92/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तृत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0स0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंडा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--
 - क्या आरोपी ने दिनांक 19.04.2012 को साढे तीन बजे जनपद कार्यालय गोहद मे सार्वजिनक स्थल पर फिरयादी आशुतोष श्रीवास्तव को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया?
 - 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
 - 3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
 - 4. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव जो कि लोक सेवक था, को उसके कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से डाँ० आलोक शर्मा अ०सा० 1, साक्षी दिनेश अ०सा० 2, सहायक उपनिरीक्षण एल०सी० यादव अ०सा० 3, रमेशचंद्र जाटव अ०सा० 4, संजीव शर्मा अ०सा० 5, भारत सिंह अ०सा० 6, फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव अ०सा० 7 एवं सेवानिवृत्त एस०आई रमेश सिंह गुर्जर अ०सा० 8 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी आश्तोष श्रीवास्तव अ०सा० ७ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 19.04.2012 के साढ़े तीन बजे की है, उसकी सी0ओ0 कार्यालय में विकास कार्यो की मीटिंग चल रही थी उसी समय जनपद मीटिंग कार्यालय के अंदर तीन-चार लोग आये थे तथा उससे कहा था कि वह उनकी शिकायत की जांच करने कार्यपालन यंत्री संभाग भिण्ड के साथ क्यों गया था, इसी बात का उन लोगों ने उसे बाहर बुलाया था और उसकी मारपीट की थी, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा था एवं उसके अंदरूनी चोटें आई थी, उक्त लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने सी0ओ0 जनपद के कहे अनुसार थाना गोहद में की थी, जो प्र0पी0 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, नक्शामौका प्र0पी0 2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा हाजिर अदालत आरोपी राधेश्याम को देखकर यह व्यक्त किया गया कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी राधेश्याम घटना दिनांक को अपने तीन साथियों के साथ कार्यालय में घुस आया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि राधेश्याम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसके शासकीय कार्य में बाधा पहचाई थी एवं व्यक्त किया है कि उसे वहां के चपरासी व अन्य लोगों ने आरोपी का नाम बताया था, उसी आधार पर उसने राधेश्याम नामक व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी राधेश्याम वहीं व्यक्ति है जिसने उसके साथ मारपीट की थी एवं उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी।
- 9. साक्षी दिनेश अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक 19.04.2012 को दोपहर साढ़े तीन बजे की है। जनपद पंचायत गोहद में सब इंजीनियर आशुतोष श्रीवास्तव की अन्य इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक चल रही थी, इसी दौरान आरोपी राधेश्याम आया था, उसने आशुतोष श्रीवास्तव को गाली देकर बुलाया था और अपने तीन साथियों की मदद से आशुतोष को पटक लिया था, घूसों से उसकी मारपीट की थी जिससे उसके शरीर पर चोटे आई थी, उसने तथा वहां उपस्थित दो—तीन लोगों ने उसे बचाया था। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। साक्षी संजीव शर्मा अ०सा० 5 ने भी आरोपी राधेश्याम द्वारा फरियादी आशुतोष श्रीवासतव की मारपीट किया जाना बताया है।
- 10. साक्षी रमेशचंद जाटव अ०सा० 4 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को जनपद कार्यालय में निर्माण कार्यों की मीटिंग चल रही थी तो राधेश्याम शर्मा ने आशुतोष श्रीवास्तव को कार्यालय से बाहर बुलाया था, दोनो में आपस में गाली गलौच होने लगी थी, उसने दोनों को समझाया था, इसके अलावा उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। साक्षी भारत सिंह अ०सा० 6 ने भी अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है, उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ह गोषित किये जाने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी राधेश्याम ने फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को मां—बहन की गालियां दी थी एवं उसकी मारपीट की थी।
- 11. सेवानिवृत्त एस0आई० रमेश गुर्जर अ०सा० ८ ने प्र०पी० ६ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। डाँ० आलोक शर्मा अ०सा० १ ने फरियादी आशुतोष की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० १ को प्रमाणित किया है एवं सहायक उपनिरीक्षक एल०सी० यादव अ०सा० ३ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 1045/2012

- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है, अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव अ0सा0 7 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन सी0ओ0 कार्यालय में विकास कार्यों की मीटिंग चल रही थी, तभी तीन—चार लोग कार्यालय के अंदर आये थे और उन लोगों ने उसे बाहर बुलाया था तभा उसकी मारपीट की थी, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा था एवं उसके अंदरूनी चोटें आई थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी राधेश्याम को नहीं जानता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना वाले दिन राधेश्याम अपने तीन साथियों के साथ कार्यालय में घुस आया था तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि राधेश्याम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी राधेश्याम ने उसके साथ मारपीट की थी एवं उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। उक्त साक्षी के यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने चपरासी व अन्य लोगों के कहने पर राधेश्याम नामक व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराई थी।
- 14 इस प्रकार फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव अ०सा० ७ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन तीन चार लोगों ने उसकी मारपीट की थी परन्तु उक्त साक्षी ने आरोपी राधेश्याम द्वारा मारपीट करने से इंकार किया है, उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित आरोपी राधेश्याम की पहचान भी नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने राधेश्याम नामक व्यक्ति के विरूद्ध अन्य लोगों के कहने से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव अ०सा० ७ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी राधेश्याम की पहचान नहीं की है एवं आरोपी द्वारा घटना दिनांक को उसके साथ मारपीट करने से इंकार किया गया है।
- जहां तक शेष साक्षीगण के कथन का प्रश्न है तो साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 ने अपने कथन में आरोपी राधेश्याम द्वारा अपने तीन साथियों की मदद से फरियादी आशुतोष की घूंसों से मारपीट करना बताया है, परन्तु यह बात स्वयं फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 द्वारा नहीं बताई गई है। साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 ने आरोपी राधेश्याम द्वारा फरियादी आशुतोष की मारपीट करना बताया है जबिक स्वयं फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव अ०सा० 7 ने आरोपी राधेश्याम द्वारा मारपीट किये जाने से इंकार किया है एवं आरोपी राधेश्याम की पहचान भी नहीं की है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 के कथन फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव अ०सा० 7 के कथनों से विरोधाभाषी रहे हैं। चूंकि स्वयं फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 ने आरोपी राधेश्याम द्वारा उसकी मारपीट किये जाने से इंकार किया है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 के कथन विश्वास योग्य नहीं है।
- 16. जहां तक साक्षी रमेशचंद्र जाटव अ०सा० 4 एवं भारत सिंह अ०सा० 6 के कथन का प्रश्न है तो रमेशचंद्र अ०सा० 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन राधेश्याम एवं आशुतोष में गाली गलौच हुआ था इसके अलावा उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी।

साक्षी भारत सिंह अ०सा० 6 ने भी घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी राधेश्याम ने आशुतोष को मां—बहन की गालियां दी थी, उसे जान से मारने की धमकी दी थी एवं आशुतोष की मारपीट की थी। इस प्रकार रमेशचंद्र अ०सा० 4 एवं भारत सिंह अ०सा० 6 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी द्वारा आशुतोष की मारपीट करने से इंकार किया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

- 17. साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 ने आरोपी राधेश्याम द्वारा फरियादी आशुतोष की मारपीट करना बताया है परन्तु यह बात स्वयं फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 द्वारा नहीं बताई गई है। फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 ने आरोपी द्वारा उसकी मारपीट करने से इंकार किया है तथा आरोपी की पहचान नहीं की है। साक्षी रमेशचंद्र अ०सा० 4 एवं भारत सिंह अ०सा० 6 ने भी उक्त बिन्दु पर साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 के कथन का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी राधेश्याम द्वारा आशुतोष की मारपीट करने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 के कथन फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 एवं साक्षी रमेशचंद्र अ०सा० 4 एवं भारत सिंह अ०सा० 6 के कथन से विरोधाभाषी रहे है। उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्विक है, जो साक्षी दिनेश अ०सा० 2 एवं संजीव शर्मा अ०सा० 5 के कथनो को संदेहास्पद बना देता है।
- 18. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 1 द्वारा चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 1 को प्रमाणित किया गया है। रमेश सिंह गुर्जर अ०सा० 8 द्वारा प्र०पी० 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है एवं एल०सी० यादव अ०सा० 3 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्तसाक्षीगण प्रकरण के औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में स्वयं फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 द्वारा आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है, ऐसी स्थित में उक्त साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- 19. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा उसकी मारपीट किये जाने से इंकार किया गया है। साक्षी दिनेश अ०सा० 2, रमेशचंद्र अ०सा० 4, संजीव शर्मा अ०सा० 5 एवं भारत सिंह अ०सा० 6 के कथन भी परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। शेष साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में स्वयं फरियादी आशुतोष अ०सा० 7 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा मारपीट करने से इंकार किया गया है ऐसी स्थित में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता।
- 20. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे, यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19.04.2012 को दोपहर साढे तीन बजे जनपद कार्यालय गोहद में फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया, फरियादी आशुतोष श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय फरियादी आशुतोष

6 आपराधिक प्रकरण कमांक 1045/2012

श्रीवास्तव को उसके शासकीय कर्तव्य का निर्वाहन करने से निवारित करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कारित किया एवं उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राधेश्याम को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0दं0सं0 की धारा 294, 506बी, 353 एवं 332 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

- 22. आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
- 23. प्रकरण में जब्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है

स्थान – गोहद दिनांक – 12/03/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

